

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 4480 R102 अल्मोड़ा दिनांक 6-3-2025

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोनिठि,
अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से तुरकौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण 0.588 है० के सापेक्ष डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-PP/UK/ROAD/11569/2015)

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१०७/२०१५/एफ.सी./१७५० दिनांक १४.०९.२०२४।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं० ३ के क्रम में एन०पी०वी० की धनराशि नयी दरों पर जमा की जानी है। भारत सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन०पी०वी० की नई दरों के अनुसार देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

| | | |
|--|---|-------------|
| 1- ईको-क्लास श्रेणी | = | Vth |
| 2- हरियाली का घनत्व (प्रतिशत) | = | 0.4 |
| 3. एन०पी०वी० की दर (प्रति है०) | = | 12692850.00 |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०) | = | 0.588 |
| 5. कुल देय एन०पी०वी० (शर्त सं०२) की धनराशि (रुपये) | = | 760196.00 |
| 6. पूर्व में जमा एन०पी०वी० की धनराशि | = | 496860.00 |
| 7. एन०पी०वी० की अतिरिक्त जमा धनराशि (रु० में) | = | 263336.00 |

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये में) 263336.00 (दो लाख-तिरसठ हजार तीन सौ छत्तीस रुपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक व सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 1 का प्रत्युत्तर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 4480 / R102 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।